

प्राप्त हुई शिकायतों की जांच-पड़ताल की जा रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मैसर्स झुनझुनवाला की फर्मों को-आयकर के करोड़ों रुपये का अपवचन करने में अपीलीय सहायक आयुक्त ने महायता दी थी, और

(घ) यदि हा, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोर रजी देसाई) . (क) चूँकि प्रश्न के भाग (ग) का सम्बन्ध आयकर के अपीलीय सहायक आयुक्त से है इसलिए अनुमान है कि अपेक्षित सूचना केवल सहायक आयुक्तों के सम्बन्ध में मागी गई है। निम्नलिखित सहायक आयुक्तों को दम्बई से उनके नाम के नामने बताये गये स्थानों पर स्थानान्तरित किया गया .—

1. श्री टी० पी० झुनझुनवाला . दिल्ली
2. श्री जी० आर० राघवन मद्रास

(ख) झुनझुनवाला समूह की फर्मों और निर्धारितियों को बम्बई शहर-II के क्षेत्राधिकार में केन्द्रित करने का विचार है, बम्बई सेन्ट्रल के क्षेत्राधिकार में नहीं।

(ग) अपीलीय सहायक आयुक्त का निर्धारितियों से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं होता। ऐसी कोई मामली नहीं है जिससे इस बात का पता चले कि अपीलीय सहायक आयुक्त ने आयकर की चोरी में इन फर्मों की मदद की हो।

(घ) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

मंसूर झुनझुनवाला की फर्म

3984. श्री जगन्नाथ राव जोशी :  
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री रामजी लाल झुनझुनवाला से सम्बन्धित 15 या

16 कम्पनियों अथवा फर्म उसके परिवार के विभिन्न सदस्यों के नामों में पृथक-पृथक दिखाई गई हैं, ताकि आयकर बचाया जा सके;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नामों में दिखाई गई फर्मों को बैंक आफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक तथा अन्य बैंकों के पास गिरवी रखा हुआ है ताकि वे लांग फर्मों के मालिक होने का दावा न कर सकें ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन फर्मों को बैंकों के पास गिरवी रखकर श्री राम निरंजन की सयुक्त परिवार की वास्तविक फर्म के नाम से ऋण लिया गया है, जिस से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मैसर्स झुनझुनवाला केवल एक ही फर्म में हिस्सेदार है और शेष फर्मों केवल नाममात्र की है, और

(घ) यदि हा, तो क्या उपरोक्त मामलों के बारे में कोई जांच की गई है और यदि हा तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ऐसी कई फर्म हैं जिनसे श्री झुनझुनवाला तथा उनके परिवार के सदस्यों का सम्बन्ध है सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि आयकर बचाने की दृष्टि से ये फर्मों उनके परिवार के विभिन्न सदस्यों के नामों में पृथक पृथक दिखाई गयी है।

(ख) से (घ) जांच पड़ताल जारी है। कर निर्धारण करते समय ये बातें ध्यान में रखी जाएगी।

Hindustan Insecticides Ltd.

3985. Shri Umanath:  
Shri E. K. Nayanar:  
Shri Satya Narain Singh:

~Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Hindustan Insecticides Ltd. did not issue any